प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 18 अक्टूबर, 2023

विषय:- जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री लड्डू गोपाल, निवासी जनपद-हाथरस की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27703/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023) दिनांक-06.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री लड्डू गोपाल, भूरापीर गली नं0-03, थाना-हाथरस कोतवाली, जनपद-हाथरस का निवासी है। (1) भांजी से आर्य समाज मन्दिर में शादी करने व अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 17-12-2002 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील कुमार को घर से बुलाकर साथ ले जाकर तमन्चों से गोली मारकर सुशील कुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। (2) पूर्व में हुये हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 09-12-2004 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर राजेन्द्र कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-642/2003, 643/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 ए0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश 07-02-2020 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-302/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, हाथरस के आदेश दिनांक 08-09-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 29.06.2023 तक प्रथम वाद में अपरिहार 16 वर्ष 01 माह तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह 16 दिन की सजा तथा द्वितीय वाद में दिनांक 29.06.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष 03 माह 07 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 03 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी के पुन: अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध, न्याय एवं जनहित में बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा (1) भांजी से आर्य समाज मन्दिर में शादी करने व अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 17-12-2002 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील कुमार को घर से बुलाकर साथ ले जाकर तमन्चों से गोली मारकर सुशील कुमार नामक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यक्ति की हत्या करने एवं (2) पूर्व में हुये हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 09-12-2004 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर राजेन्द्र कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा उक्त घटनाओं में दोनो सगे भाइयों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुशील पुत्र श्री लड्डू गोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील (बंदी संख्या-622/2008) पुत्र श्री लड्डू गोपाल, निवासी जनपद-हाथरस के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-598/2023/1267 रिट (1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को एस0एल0ए0(क्रि0)सं0-6095-6096/2021 सुशील कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-08-2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-598/2023/1267/22-2-2023-17(836)/2023

दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुशील पुत्र श्री लड्डू गोपाल, भूरापीर गली नं0-03, थाना-हाथरस कोतवाली, जनपद-हाथरस का निवासी है। (1) भांजी से आर्य समाज मन्दिर में शादी करने व अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 17-12-2002 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील कुमार को घर से बुलाकर साथ ले जाकर तमन्चों से गोली मारकर सुशील कुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। (2) पूर्व में हुये हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 09-12-2004 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर राजेन्द्र कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-642/2003, 643/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 व 25 ए0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश 07-02-2020 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। (2) सत्र परीक्षण संख्या-302/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम, हाथरस के आदेश दिनांक 08-09-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 29.06.2023 तक प्रथम वाद में अपरिहार 16 वर्ष 01 माह तथा सपरिहार 20 वर्ष, 03 माह 16 दिन की सजा तथा द्वितीय वाद में दिनांक 29.06.2023 तक अपरिहार 16 वर्ष 03 माह 07 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 03 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में सशक्त होने, बन्दी द्वारा कारित अपराध, न्याय एवं जनहित में बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा (1) भांजी से आर्य समाज मन्दिर में शादी करने व अवैध सम्बन्धों की रंजिश को लेकर दिनांक 17-12-2002 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सुशील कुमार को घर से बुलाकर साथ ले जाकर तमन्चों से गोली मारकर सुशील कुमार नामक व्यक्ति की हत्या करने एवं (2) पूर्व में हुये हत्या में गवाही दिये जाने की रंजिश को लेकर दिनांक 09-12-2004 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर राजेन्द्र कुमार शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा उक्त घटनाओं में दोनो सगे भाइयों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सुशील पुत्र श्री लड्डू गोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।